



174515 - जीविका और धन प्राप्त करने तथा कर्ज चुकाने की दुआँ

प्रश्न

इन दिनों संयुक्त राज्य अमेरिका जिस बिगड़ती आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, उसके कारण मेरे पिता को काम में परेशानी हो रही है, और हमें पता नहीं कब तक वह अपनी इस नौकरी में रहेंगे। उन्होंने उन्हें छोड़ने की चेतावनी दी है.. और वह हमारे परिवार के लिए एकमात्र कमाने वाले हैं। मैं एक ऐसी दुआ सीखना चाहता हूँ जिसे मैं पढ़ूँ, तो हमारे मामलात आसान हो जाएँ और हमारे धन बढ़ जाएँ। मैंने इंटरनेट पर खोज की और मुझे एक दुआ मिली, लेकिन मुझे उसकी वैधता पर संदेह हुआ क्योंकि इसके लिए एक व्यक्ति को एक बैठक में 12,000 बार पढ़ने की आवश्यकता होती है। मुझे आशा है कि आप मेरी मदद करेंगे। अल्लाह आपको अच्छा प्रतिफल दे।

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

सबसे पहले :

हम अल्लाह तआला से प्रश्न करते हैं कि वह आपके मामले को आसान बनाए, आपके पिता की मदद करे और आपको हलाल और धन्य रोज़ी प्रदान करे।

सहीह सुन्नत में चिंताओं को दूर करने, संकटों के मोचन, कर्ज चुकाने और धन की प्राप्ति के लिए कई दुआएँ साबित हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :

1- इमाम अहमद (हदीस संख्या : 3712) ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने कहा : अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : “जो भी व्यक्ति किसी चिंता या शोक से पीड़ित हुआ, तो उसने यह दुआ पढी : “*اللّٰهُمَّ اِنِّيْ فِرٌّ وَّ اِنِّيْ عَاطِيٌّ وَّ اِنِّيْ رَاغِبٌ وَّ اِنِّيْ رَاجِيٌّ وَّ اِنِّيْ مُرْتَاكِبٌ وَّ اِنِّيْ رَاغِبٌ وَّ اِنِّيْ رَاجِيٌّ وَّ اِنِّيْ مُرْتَاكِبٌ وَّ اِنِّيْ رَاغِبٌ وَّ اِنِّيْ رَاجِيٌّ وَّ اِنِّيْ مُرْتَاكِبٌ*” (ऐ अल्लाह! मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे बंदे का बेटा हूँ, तेरी बंदी का बेटा हूँ। मेरी पेशानी तेरे हाथ में है, मेरे बारे में तेरा आदेश क्रियान्वित होता है और मेरे बारे में तेरा फैसला न्यायपूर्ण है।



अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा : “क्या मैं तुम्हें एक दुआ न सिखाऊँ जिसे तुम कहो, तो भले ही तुम्हारे ऊपर उहुद पर्वत जैसा कर्ज हो, अल्लाह उसे तुम्हारी ओर से अदा कर देगा, ऐ मुआज़ ! कहो : *اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ رِزْقًا حَلٰلًا مِّمَّنْ اَسْأَلُكَ رِزْقًا حَلٰلًا لِّمَنْ اَسْأَلُكَ رِزْقًا حَلٰلًا لِّمَنْ اَسْأَلُكَ رِزْقًا حَلٰلًا لِّمَنْ اَسْأَلُكَ رِزْقًا حَلٰلًا لِّمَنْ اَسْأَلُكَ رِزْقًا حَلٰلًا لِّمَنْ اَسْأَلُكَ رِزْقًا حَلٰلًا لِّمَنْ اَسْأَلُكَ رِزْقًا حَلٰلًا لِّمَنْ اَسْأَلُكَ رِزْقًا حَلٰلًا لِّمَنْ اَسْأَلُكَ رِزْقًا حَلٰلًا لِّمَنْ اَسْأَلُكَ رِزْقًا حَلٰلًا*” (ऐ अल्लाह, राज्य के स्वामी ! तू जिसे चाहे राज्य देता है और जिससे चाहे राज्य छीन लेता है, और जिसे चाहे इज्जत प्रदान करता है और जिसे चाहे अपमानित कर देता है। तेरे ही हाथ में हर भलाई है। निःसंदेह तू हर चीज़ पर सर्वशक्तिमान है। ऐ दुनिया और आखिरत में सबसे दयावान और उनमें असीम दयालु ! तू जिसे चाहे वे दोनों प्रदान करे और जिसे चाहे उन दोनों से वंचित कर दे। मुझ पर ऐसी दया कर जिसके द्वारा मुझे अपने अलावा की दया से बेनियाज़ कर दे।)”

अलबानी ने “सहीह अ-तर्गीब वत-तर्हीब” (हदीस संख्या : 1821) में इसे हसन कहा है।

5- जीविका प्राप्त करने के महान और लाभकारी साधनों में से एक : अल्लाह तआला से बहुत अधिक क्षमा माँगना (इस्तिग़फ़ार) है।

सर्वशक्तिमान अल्लाह ने फरमाया :

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَيُنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنّٰتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهَارًا

نوح : 10 – 12

“तो मैंने कहा : अपने पालनहार से क्षमा माँगो। निःसंदेह वह बहुत क्षमा करने वाला है। वह तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा। और वह तुम्हें धन और बच्चों में वृद्धि प्रदान करेगा तथा तुम्हारे लिए बाग़ बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा।” (सूरत नूह : 10-12)।

दूसरा :

जहाँ तक इन दुआओं में से किसी दुआ को दोहराने के लिए एक विशिष्ट संख्या निर्धारित करने की बात है, तो यह बिद्अतों और नवाचारों में से है।

“फतावा अल-लजनह अद-दाईमह” में कहा गया है : “अज़कार और इबादत के कार्यों के संबंध में मूल सिद्धांत : यह है कि वे तौक़ीफ़ी हैं [अर्थात् वे सही धार्मिक ग्रंथों के आधार पर ही सिद्ध हो सकते हैं], और अल्लाह की इबादत केवल उसी तरीके से

की जाएगी जो उसने निर्धारित किए हैं। इसी तरह उसका मुतलक (सामान्य) होना या उसका कोई समय निर्धारित करना, उसकी कैफ़ियत (तरीका) बयान करना, उसकी संख्या निर्धारित करना, उन अज़कार एवं दुआओं, तथा अन्य सभी इबादतों में जो किसी विशिष्ट समय, या संख्या, या स्थान या तरीके से प्रतिबंधित नहीं हैं : हमारे लिए उनमें किसी विशेष तरीके, या समय, या संख्या की पाबंदी करना जायज़ नहीं है। बल्कि हम इसके साथ अल्लाह की मुतलक इबादत करेंगे, जैसा कि वर्णित हुआ है। तथा जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कथन या कर्म के आधार पर साबित होता है कि वह किसी विशेष समय या संख्या के साथ प्रतिबंधित है, या उसके लिए समय या तरीका निर्धारित किया गया है : हम उसके साथ अल्लाह की इबादत उसी तरह करेंगे जो शरीयत से साबित है।

शैख अब्दुल-अज़ीज़ बिन बाज़, शैख अब्दुर-रज़्ज़ाक अफीफी, शैख अब्दुल्लाह बिन गुदैयान, शैख अब्दुल्लाह बिन कऊद

“मजल्लतुल-बुहूस अल-इस्लामिय्यह” (21/53) और “फतावा इस्लामिय्यह” (4/178) से उद्धरण समाप्त हुआ।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।